सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3241
उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

पीएम विश्वकर्मा योजना

3241. श्री संजय दिना पाटील:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आधुनिक बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए पारंपरिक कारीगरों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कारीगरों को निरंतर रोजगार के अवसरों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए बाजार तक पहुंच का मूल्यांकन किया है और उसमें सुधार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार कितने लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत कारीगरों को प्रदान किए गए ऋणों की वहनीय ब्याज दरें सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है; और

(छ) कठोर पात्रता मानदण्डों के कारण कितने कारीगरों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ज्यादातर लाभार्थी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें, सरकार द्वारा इन मानदंडों में छूट देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : कौशल घटक के तहत, लाभार्थियों को 6 दिन का आधारभूत प्रशिक्षण और 15 दिनों का उन्नत प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान लाभार्थियों को 1000 रुपए तक यात्रा व्यय के साथ मजदूरी मुआवजे के रूप में 500 रुपए प्रतिदिन स्टाईपेंड का भुगतान किया जाता है। दिनांक 17.09.2023 को स्कीम की शुरुआत से दिनांक 17.03.2025 तक 19.92 लाख पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कौशल उन्नयन के दौरान, लाभार्थियों के कौशल को संवर्धित किया जाता है तथा उन्हें आधुनिक औजारों, सर्वोत्तम रितियों और नवोन्मेष डिजाइनों से परिचित किया जाता है। उन्हें विपणन और उद्यमिता जानकारी और सहायता के साथ-साथ डिजिटल, वित्तीय और सॉफ्ट स्किल में भी प्रशिक्षण प्राप्त होता है।

(ख) और (ड.) : सरकार ऐसे पीएम विश्वकर्मा लाभार्थी, जो स्व-रोजगार प्राप्त हैं और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें सहायता प्रदान करती है। कोलेटरल मुक्त उद्यम विकास ऋण 5% की रियायती निश्चित ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कुल ऋण सहायता राशि 3,00,000 रुपए होती है। लाभार्थी 1,00,000 रुपए तक के ऋण की पहली किश्त और पहली किश्त के भुगतान के बाद 2,00,000 रुपए तक के दूसरी किश्त का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार 8% तक ब्याज सबवेंशन में योगदान प्रदान करती है। पोर्टफोलियों आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत सभी ऋण संरक्षित हैं। इस सहायता का उद्देश्य उनके संचालन को बढ़ाना, उनके औजारों और व्यवसायों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना तथा उद्यमी के रूप में औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलाव करने में सहायता प्रदान करना है।

(ग) : स्कीम के तहत, पूरे देश में पीएम विश्वकर्माओं को विपणन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग आदि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम विश्वकर्माओं को विभिन्न व्यापार मेलों, राज्य स्तरीय प्रदर्शिनियों आदि के माध्यम से उनके हस्तशिल्प/उत्पादों को प्रदर्शित और बिक्री करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों के उत्पादों की बिक्री के संवर्धन के लिए विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन मार्किटिंग सहायता भी प्रदान की जा रही है।

(घ) : पीएम विश्वकर्मा के तहत दिनांक 17.03.2025 तक ऐसे लाभार्थियों, जिन्होंने वित्तीय सहायता प्रदान की है, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध** पर दी गई है।

(च) : राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) की नियमित बैठकों के माध्यम से स्कीम की निगरानी की जाती है, जिसकी सह-अध्यक्षता सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता (एमएसडीई) और सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा की जाती है।

(छ) : यह स्कीम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से व्यापक रूप से सुलभ है, जो देश भर के शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करती है। यदि किसी लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है, तो उनकी शिकायतों की दिन-प्रतिदिन आधार पर ऑनलाइन निगरानी की जाती है और मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) को भेजा जाता है। इसके अलावा, लाभार्थियों को स्कीम के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए टेक्स्ट मैसेज/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

******

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3241, जिसका उत्तर दिनांक 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य के नाम	संस्वीकृत ऋण आवेदनों की संख्या	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)
आंध्र प्रदेश	30,450	248.49
अरुणाचल प्रदेश	47	0.46
असम	10,993	103.04
बिहार	10,365	91.70
छत्तीसगढ़	6,660	55.60
गोवा	559	5.02
गुजरात	37,788	341.05
हरियाणा	5,273	48.64
हिमाचल प्रदेश	1,271	11.87
झारखंड	3,293	23.74
कर्नाटक	96,192	765.35
केरल	2,855	25.53
मध्य प्रदेश	29,451	267.63
महाराष्ट्र	31,495	277.47
मणिपुर	682	6.42
मेघालय	5	0.05
मिजोरम	21	0.21
नागालैंड	143	1.39
ओडिशा	9,686	83.25
पंजाब	922	8.51
राजस्थान	42,375	373.89
सिक्किम	55	0.55
तेलंगाना	21,110	198.35
त्रिपुरा	3,166	27.95
उत्तर प्रदेश	8,569	77.75
उत्तराखंड	603	5.53
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	42	0.38
चंडीगढ़	15	0.13
दिल्ली	33	0.28
जम्मू और कश्मीर	12,341	114.25
लद्दाख	340	3.38
लक्षद्वीप	0	0.00
पुडुचेरी	54	0.52
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	54	0.41
कुल योग	**3,66,908**	**3168.80**

****